पत्रसं0-चे0पो0-25 क-पारगमन प्राधिकार पत्र व्यवस्था/2009-2010/ 0910034 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर उ-ार प्रदेश

(चेकपोस्ट नुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 21 जुलाई, 2009

समस्त - सिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर धिकारी ,

जांच चौकी / सचल दल वाणिज्यकर, उ0प्र0 ।

Key word 1-30-Transit Pass

श्री एस0के0 माथुर, धिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री ाई0टी0ई0इन्डिया प्रा0लि0, इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड ए सहीबीसन्स, 1-83, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली के द्वारा इस ाशय का प्रत्यावेदन दिया गया है कि सर्वश्री खुशी नामक एक नान गवर्नमेन्ट ार्गनाइजेशन द्वारा एक creative, shopping, games, food court for family bonding and holistic development of the child हेतु दिनांक 31-07-09 से दिनांक 02-08-09 तक Expo Centre-A-II, Sec - 62, Noida में एक प्रदर्शनी ायोजित की जायेगी जिसमें संलग्न सूची के नुसार देश के विभिन्न भागों से 38 कम्पनियों (सूची संलग्न) द्वारा विभिन्न प्रकार के लाये गये माल का प्रदर्शन किया जायेगा। प्रत्यावेदन में कहा गया है कि प्रदर्शनी में लाये गये माल की बिक्री नहीं की जायेगी एवं प्रदर्शनी के बाद इन्हें पुन: वापस ले जाया जाएगा। प्रत्यावेदन में प्रदर्शनी हेतु लाये जाने वाले माल तथा प्रदर्शनी के बाद इसे वापिस ले जाने की व्यवस्था निर्धारित करने नुरोध किया गया है।

सर्वश्री ाई0टी0ई0इन्डिया प्रा0लि0, इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड ए सहीबीसन्स, 1-83, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली के प्रत्यावेदन पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रदर्शनी में जो व्यवसायी भाग लेने के उद्देश्य से पना माल लेकर प्रांत बाहर से ाये तो इस प्रदर्शनी के लिए लाने वाले माल के संबध मे सर्वश्री ाई0टी0ई0इन्डिया प्रा0लि0, इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड ए सहीबीसन्स, 1-83, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली के धिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से जारी /प्रद-1 प्रमाण पत्र के ाधार पर नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जाये तथा प्रदर्शनी के समाप्त होने पर वापस प्रांत बाहर जाते समय नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज कर दिया जाये ।चूंकि प्रकरण में प्रवेश जांच चौकी ौर निर्गमन जांच चौकी एक ही रहेगी त: पारगमन प्राधिकार पत्र जारी ौर खारिज करते समय लाये जा रहे एवं वापस ले जाये जा रहे माल के भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जांच चौकी के धिकारियो की रहेगी।

पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज न होने पर थवा प्रांत के अंदर माल की बिक्री किया जाना पाये जाने पर नियमानुसार र्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाये। पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज करने हेतु 15 दिन का समय दिया जा सकता है। इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले व्यवसाईयों को जिस वाणिज्य कर जांच चौकी से पारगमन प्राधिकार पत्र जारी किये जायेंगे उसी वाणिज्य कर जांच चौकी को निर्गमन जांच चौकी के रूप में उ त संबध में कार्यवाही करना होगा।

उपर्यु त निर्देशों के नुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

(निल संत)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उ-ार प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उ त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं ावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उ-ार प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. श्री एस0के0 माथुर, धिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री ाई0टी0ई0इन्डिया प्रा0लि0, इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड ए सहीबीसन्स, 1-83, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली को इस नुरोध के साथ की कृपया प्रदर्शनी मे भाग लेने वाले व्यवसाइयो को संदर्भित समाग्री लाने के विषय मे प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे जिससे व्यवसाईयो द्वारा जांच चौकियों पर प्रस्तुत किये जाने पर प्रात के न्दर लाये जाने वाले माल के संबध मे पारगमन प्राधिकार पत्र जारी व वापसी के समय खारिज किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रदर्शनी हेतु लाये गये माल की बिक्री नही की जायेगी एवं

समस्त माल प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के बाद वापस ले जाया जायेगा। यदि माल की बिक्री प्रदेश में किया जाना पाया जाता है तो विधि नुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 ।
4. समस्त एडी0 कमि0 ग्रेड-2(वि0 नु0शा0)वाणिज्य कर उ0प्र0 को नोएडा की प्रदर्शनी में भाग लेने वाले व्यवसाईयों की सूची सहित।
5. चेकपोस्ट नुभाग को 05 प्रतियॉ तिरि त।

संलग्नक : यथोपरि।

(वी0 पी0 श्रीवास्तव)
ज्वाइंट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।